श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम।
नोटिस

श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम के मंदिर में आने वाले श्रदालुओं को प्रशाद एंव अन्य सम्बन्धित सामग्री आदि की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए श्री माता मंदिर बोर्ड द्वारा बनाई गई सभी दुकानों का ठेका खुली बोली द्वारा नीलामी दिनांक 20.03.2019 **को दोपहर 12.00 बजे** मंदिर परिसर में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई प्रतिभूति राशि 8,00,000/–रुपये (आठ लाख रुपये) मंदिर कार्यालय में बैंक ड्राफट/पे–आर्डर/बैंकर चैक द्वारा **श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम** के पक्ष में जमा करवाना होगा और केवल वह ही उक्त बोली देने का अधिकारी होगा। धरोहर राशि जमा करवाने का अंतिम समय दिनांक 20.03.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक रहेगा।

क्रमांक	नीलाम किये जाने वाले कार्यो का विवरण।	सिक्योरिटी राशि, वापसी योग्य।	ठेके की अवधि
1	प्रशाद्व की ब्रिकी के लिये मंदिर बोर्ड की सभी दुकानो की नीलामी बारे।	रु0 8,00,000/– (आठ लाख रुपये केवल) जो कि बैंक ड्राफट/बैंकर चैक/पे–आर्डर के रुप में श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड,गुरुग्राम के पक्ष में देय होगा।	22.03.2019 से 21.04. 2019 तक

तहबाजारी के ठेके की नियम एंव शर्ते निम्न प्रकार से है:–

1. **ठेके की अवधि :– ठेके देने की अवधि से** दिंनाक 22.03.2019 से दिनांक 21.04.2019 .तक।.

भुगतान संबंधी शर्ते :–

क **धरोहर राशि :**

मंदिर प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गत वर्ष की भांति इच्छुक बोलीदाता को धरोहर राशि मु0 8,00,000/रु0 (आठ लाख रुपये मात्र)मंदिर प्रशासन कार्यालय मे बैंक ड्राफट/बैंकरस चैक/पे–आर्डर द्वारा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम के पक्ष मे जमा करवानी होगी तथा केवल वह ही बोली देने का अधिकारी होगा। इच्छुक बोलीदाता धरोहर राशि **दिनांक 20.03.2019 को प्रातः 11.00 बजे** तक मंदिर कार्यालय मे जमा करवा सकते है। इसके साथ ही इच्छुक बोलीदाता को धरोहर राशि के साथ अपना पहचान पत्र तथा मोबाईल न0 के साथ देना होगा। इच्छुक बोलीदाता को बोली के समय अपने साथ केवल एक ही प्रतिभागी लाने का अधिकार होगा।

ख. जो बोलीदाता एक भी बोली नही देगा उसकी धरोहर राशि 8,00,000/रु0 (आठ लाख रुपये) जब्त कर ली जाएगी।

Scanned by CamScanner

ग तहबाजारी की सभी दुकानो की उच्चतम बोलीदाता को ठेके की कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग ठेका छुटने पर 72 धंटे के अन्दर मंदिर कार्यालय में उक्त राशि जमा करवानी होगी।यदि अंतिम दिन अवकाश है तो यह अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक (अर्थात प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक) समझी जाएगी।

ध. सफल बोलीदाता को ठेके की कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग दिनांक 02–04–2019 तक जमा करवाना होगा।

ड यदि सफल बोलीदाताओ मे से प्रथम उच्चतम बोलीदाता ठेके की 50 प्रतिशत राशि निर्धारित समय सीमा मे जमा नही करवाता है तो बगैर किसी नोटिस उसकी धरोहर राशि मु0 8.00/– लाख रुपये जब्त कर ली जाएगी तथा यदि उसके बाद की उपरोक्तानुसार राशि उक्त तिथि पर जमा नही करवाता है तो उसकी तब तक की जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और नियमानुसार कमशः अगले बोलीदाताओं को इसी प्रकार मौका दिया जाएगा। Default की अवस्था में यदि कोई भी बोलीदाता इच्छुक नही होता हैं तो मंदिर प्रशासन को हक होगा कि वह सभी बोलीदातओ की तब तक की जमा राशि जब्त करके इस बोली को रदद करके पुनः बोली करवा ले।

च तहबाजारी की सभी दुकानो के लिए **आरक्षित मूल्य मु0 1.30 करोड/–रु0 (एक करोड तीस लाख रुपये)** मात्र होगी। पिछली बोली से एक लाख रुपये से कम अगली बोली मान्य नही होगी। सफल बोलीदाता को ठेके के अन्तिम निणर्य के उपरान्त 100/रु.0 के स्टाफ पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र पर सत्यापित करवाकर 3 दिन के अन्दर मंदिर कार्यालय को देना होगा।

छ सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के अतिरिक्त मु0 2.00 लाख रुपये की प्रतिभुति राशि मंदिर कार्यालय मे मंदिर परिसर को साफ सुथरा रखने, टुट–फुट की मरम्मत करवाने व बिजली की बकाया राशि की पूर्ति के लिए जमा करवानी होगी।

4. सरकारी नियमों की पालना बारे अतिरिक्त शर्तेः–

क उपायुक्त एवं मुख्य प्रशासक श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड गुरुग्राम को ठेके की राशि स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार एवं शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

ख मंदिर प्रशासन के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि यदि ठेकेदार की गतिविधियां मंदिर प्रशासन के अहित में एवं निर्धारित नियम एंव शर्तो के विरूद्ध पाई जाती है तो बिना किसी नोटिस के ठेकेदार का ठेका रद्व कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी ।

Scanned by CamScanner

ग – ठेकेदार एवं सफल बोलीदाता द्वारा नियमानुसार आयकर एवंम अन्य कर अपने स्तर पर जमा करवाने होगें यदि वह ऐसा करने मे असमर्थ रहता है तो इसके परिणाम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मंदिर प्रशासन अथवा इससे जुडे किसी अधिकारी/कर्मचारी की इस सम्बन्ध मे कोई जिम्मेवारी नही होगी।

5 ठेके के सम्बन्ध में अन्य शर्ते :–

क ठेकेदार का तहबाजारी की दुकानों में अलग से सब–मीटर बिजली की खपत के लिए लगवाना होगा व बिजली की खपत का भुगतान बिजली निगम को करने के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा। बिजली खपत के भुगतान अथवा अन्य किसी प्रकार की अनिमितता की स्थिति में मंदिर प्रशासन द्वारा ठेका रदद करके नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

ख हरियाणा सरकार ने पोलीबैग का इस्तेमाल करने में पाबंदी लगाई हुई है। इसके स्थान पर ठेकेदार केवल जूट बैग में ही प्रसाद एवं अन्य सामग्री विक्रय करेगा। तहबाजारी की दुकानो मे अवैध गतिविधि पर पाबन्दी रहेगी।

ग ठेकेदार द्वारा तहबाजारी दुकानो पर नियुक्त किए गए दुकानदारो की पुलिस जॉच करवानी होगी अन्यथा ठेका रदद कर दिया जाऐगा।

ध ठेकेदार पर मेला ग्राउंड मे किसी भी प्रकार की स्थाई/अस्थाई निर्माण पर पाबन्दी रहेगी।

ड. किसी भी विवाद की स्थिति मे क्षेत्राधिकार गुरुग्राम होगा।

च मंदिर के किसी बकाया ठेकेदार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से बोली देने का अधिकार नही होगा।

छ इस या किसी अन्य विषय पर मुख्य प्रशासक, श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड, गुरुग्राम का निर्णय अंतिम होगा।

०६८७१०

मुख्य कार्यकारी, अधिकारी
श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड,
गुरुग्राम

Scanned by CamScanner